

**प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती**

दिनांक:-12.07.2021

पुलिस पर फायर करने वाले अभियुक्त को थाना वाल्टरगंज पुलिस द्वारा एक अदद तमन्चा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज श्री दुर्विजय मय पुलिस द्वारा कानून/शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत व संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के दृष्टिगत क्षेत्र-भ्रमण के दौरान बक्सई तिराहे से हर्दिया चौराहा की ओर जाने वाले मार्ग पर जाते समय ग्राम सियरापार की ओर से तेजी से पैदल आते हुए एक व्यक्ति पर संदेह होने पर टोकने व रोकने पर व्यक्ति अचानक पीछे मुड़कर भागने लगा, जिसका पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान व्यक्ति पीछे मुड़कर पुलिस बल को जान से मारने की नियत से फायर किया गया जो कि आरक्षी रंजीत कन्नौजिया के बगल से निकल गयी। व्यक्ति फायर करने के उपरान्त पुनः सियरापार ग्राम की तरफ भागने का प्रयास किया कि उसके पैर आपस में उलझ गये और वह रामजानकी मन्दिर गायघाट के पास सड़क पर गिर गया जिसे थाना वाल्टरगंज पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमन्चा, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

जिसके सम्बन्ध में थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पर अभियुक्त मासूम अली उर्फ सोयब अली पुत्र हैदर अली निवासी घेर शामु खान ठण्डी सड़क जनपद फर्रुखाबाद (उ0प्र0) के विरुद्ध मु0अ0सं0 159/2021 धारा 307 IPC व मु0अ0सं0 160/2021 धारा 3/25, 5/27 Arms Act पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मासूम अली उर्फ सोयब अली पुत्र हैदर अली निवासी घेर शामु खान ठण्डी सड़क थाना कोतवाली जनपद फर्रुखाबाद (उ0प्र0)।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर ।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
3. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।
4. रुपये 1460/- नगद ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त मासूम अली उर्फ सोयब अली पुत्र हैदर अली से रात्रि में सुनसान जगह पर घूमने एवं पुलिस को देखकर भागने व पुलिस पर फायर करने के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग घूम-घूमकर छोटे-छोटे सोने की दुकान पर जाकर दुकान के मालिक को अपनियो बातों में उलझाकर धोखे से उनका सोने का आभूषण लेकर भाग जाते हैं एवं रात में सुनसान इलाके के सोने की दुकानों का टला तोड़कर आभूषणों की चोरी भी करते हैं। हमारा एक गैंग है जिसमें निसार पुत्र सहजान व वसिम पुत्र जोहरी निवासीगण निवासी घर शामु खान ठंठी सड़क थाना कोतवाली जनपद फर्रुखाबाद (उ0प्र0) है तथा निसार पुत्र सहजान हमारे गैंग का लीडर है। कुछ दिन पहले दिनांक 09.06.2021 को दिन मे समय करीब 10:00 बजे भिटिया तिराहे के पास स्थित सोने की दुकान के मालिक को अपनी बातों मे उलझाकर कुछ आभूषण देकर हम लोग हीरो स्ट्रीम की गाड़ी से जनपद फर्रुखाबाद भाग गये थे जिसमें नसीम व वसीम भी मेरे साथ शामिल थे। दिनांक 11.07.2021 की रात को मै सोने की दुकान की तलाश मे निकला था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 140/2021 धारा 420 IPC थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 159/2021 धारा 307 IPC थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0 160/2021 धारा 3/25, 5/27 Arms Act थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष वाल्टरंग श्री दुर्विजय जनपद बस्ती।
2. उ0नि0 ललितकान्त यादव थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
3. हे0का0 राघवेन्द्र पाण्डेय, हे0का0 लालदेव यादव(चालक), हे0का0 प्रदीप सिंह थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
4. आरक्षी रंजीत कन्नौजिया, रि0आरक्षी विकास यादव थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।